ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow
(Uttar Pradesh State Government University)

संख्या–1342 /भा.विवि/कुसका/2024 दिनांक : 05 अक्टूबर, 2024

34वीं कार्य परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 को प्रातः 11:30 बजे आचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्यपरिषद् की 34वीं बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे:–

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायन वोकेशनल पी0जी0 कॉलेज (के0के0वी0), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
3.	प्रो0 ललिता राव, सेवानिवृत्त–बी0एड0 विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी।	सदस्य
4.	प्रो0 सुधांशु पांड्या, डीन एवं डायरेक्टर–स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल सी0एस0जे0एम0 यूनिवर्सिटी, कानपुर। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
5.	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष–सामाजिक विज्ञान	सदस्य
6.	प्रो0 सैयद हैदर अली, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य	सदस्य
7.	प्रो0 मसऊद आलम, आचार्य–अरबी विभाग, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
8.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
9.	प्रो0 फखरे आलम, आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
10.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
12.	डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जन संचार	सदस्य
13.	डॉ0 बुशरा अलवेरा, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
14.	श्री साजिद आज़मी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्री
15.	डॉ0 भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक	विशिष्ट आमंत्री
16.	डॉ0 महेश कुमार, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया:–

बिन्दु संख्या–34.1 :

कार्य परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2024 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

2/–

<u>बिन्दु संख्या–34.2 :</u>

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2024 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

<u>बिन्दु संख्या–34.3 :</u>

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2024 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

<u>बिन्दु संख्या–34.4 :</u>

कार्य परिषद् की 33वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद् की 33वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी तथा बिन्दु 33.17 में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगामी कार्य परिषद् में गठित समिति से कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये, अन्यथा की स्थिति में कार्य परिषद् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या–34.5 :</u>

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित एवं सहमत हुयी।

<u>बिन्दु संख्या–34.6 :</u>

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित एवं सहमत हुयी।

3/–

बिन्दु संख्या–34.7 :

परीक्षा समिति की 8वीं बैठक दिनांक 20 अगस्त, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की 8वीं बैठक दिनांक 20 अगस्त, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–34.8 :

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–34.9 :

विद्या परिषद् की 19वीं बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की 19वीं बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–34.10 :

डॉ0 जावेद अख्तर, सहायक आचार्य, फारसी विभाग का चयन मौलाना मज़हरूल हक़ अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना में हो जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 से कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति एवं दो वर्ष का धारणाधिकार तथा डॉ0 जावेद अख्तर द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उन्हें दिनांक 20 अक्टूबर, 2024 से 20 अक्टूबर, 2026 तक धारणाधिकार प्रदान किये जाने की अनुमति से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

डॉ0 जावेद अख्तर, सहायक आचार्य, फारसी विभाग का चयन मौलाना मज़हरूल हक़ अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना में हो जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 से कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति एवं दो वर्ष का धारणाधिकार तथा डॉ0 जावेद अख्तर द्वारा उन्हें दिनांक 20 अक्टूबर, 2024 से 20 अक्टूबर, 2026 तक धारणाधिकार प्रदान किये जाने पर कार्य परिषद् में व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त उन्हें दिनांक 21 अक्टूबर 2022 से तीन वर्ष का अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–34.11 :

डॉ0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सह आचार्य (संविदा) को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय का प्रभारी निदेशक एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग का विभागाध्यक्ष नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1252/भा.विवि/कुसका/2024/ 486/ 18 दिनांक 20 सितम्बर, 2024 से संसूचित किया जाना।

निर्णय :

डॉ0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सह आचार्य (संविदा) को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय का प्रभारी निदेशक एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग का विभागाध्यक्ष नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1252/भा. विवि/कुसका/2024/486/18 दिनांक 20 सितम्बर, 2024 से कार्य परिषद् संसूचित एवं सहमति हुयी।

बिन्दु संख्या–34.12 :

डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग को विभागाध्यक्ष नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1260/ भा.विवि/कुसका/2024/454/18 दिनांक 21 सितम्बर, 2024 से संसूचित किया जाना।

निर्णय :

डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग को विभागाध्यक्ष नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1260/ भा.विवि/कुसका/2024/454/18 दिनांक 21 सितम्बर, 2024 से कार्य परिषद् संसूचित एवं सहमत हुयी।

बिन्दु संख्या–34.13 :

प्रो0 फखरे आलम, आचार्य–उर्दू विभाग द्वारा अस्वस्थता के दृष्टिगत संकायाध्यक्ष–कला एवं मानविकी के पद से मुक्त किये जाने सम्बन्धी अनुरोध के क्रम में प्रो0 सौबान सईद को संकायाध्यक्ष–कला एवं मानविकी नामित किये जाने से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

प्रो0 फखरे आलम, आचार्य–उर्दू विभाग द्वारा अस्वस्थता के दृष्टिगत संकायाध्यक्ष–कला एवं मानविकी के पद से मुक्त किये जाने सम्बन्धी अनुरोध के क्रम में प्रो0 सौबान सईद को संकायाध्यक्ष–कला एवं मानविकी नामित किये जाने से कार्य परिषद् संसूचित एवं सहमत हुयी।

बिन्दु संख्या–34.14 :

माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय, विधि अध्ययन संकाय एवं भेषजी संकाय को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली समाहित किये जाने हेतु प्रदान किये गये अनुमोदन से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय, विधि अध्ययन संकाय एवं भेषजी संकाय को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में समाहित किये जाने हेतु प्रदान किये गये अनुमोदन से कार्य परिषद् संसूचित एवं सहमत हुयी।

बिन्दु संख्या–34.15 :

पूर्व से कार्यरत सहायक आचार्य (अस्थायी) जिनके द्वारा संतोषजनक शिक्षण कार्यकराये जाने की आख्या संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विषय प्रभारी से प्राप्त हुयी है, उन सहायक आचार्य (अस्थायी) से दिनांक 01 जुलाई, 2024 से शिक्षण कार्य लिये जाने से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

पूर्व से कार्यरत सहायक आचार्य (अस्थायी) जिनके द्वारा संतोषजनक शिक्षण कार्य कराये जाने की आख्या संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विषय प्रभारी से प्राप्त हुयी है, उन सहायक आचार्य (अस्थायी) से दिनांक 01 जुलाई, 2024 से शिक्षण कार्य लिये जाने से कार्य परिषद् संसूचित एवं सहमत हुयी।

बिन्दु संख्या—34.16 :

स्ववित्तपोषित योजनान्तगत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय, विधि अध्ययन संकाय एवं भेषजी संकाय के रिक्त आचार्य पद पर शासकीय विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्यों (अधिकतम 65 वर्ष तक) को आबद्ध किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय, विधि अध्ययन संकाय एवं भेषजी संकाय में रिक्त आचार्य के पदों पर विज्ञापन संख्या—01/2024 दिनांक 11 मार्च, 2024 द्वारा विज्ञापित पदों के अधीन प्राप्त आवेदन पत्रों में कुल 26 पदों के सापेक्ष 01 भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उक्त पदों को विज्ञापन संख्या—03/2024 द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2024 द्वारा पुनर्विज्ञापित किया गया है। विश्वविद्यालय में सत्र 2024—25 प्रारम्भ हो गया है। अतः शिक्षण सत्र को नियमित रखने व समयानुसार पाठ्यक्रम पूर्ण कराकर परीक्षायें सम्पादित कराये जाने हेतु तत्काल शिक्षकों की आवश्यकता है। अग्रेतर बी0सी0आई0, पी0सी0आई0 एवं ए0आई0सी0टी0ई0 के अनुमोदन की निरन्तरता हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के मानकानुसार विश्वविद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता की भी आवश्यकता है।

उक्त परिस्थिति के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा के उपरान्त कार्य परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासकीय विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्यों (अधिकतम 65 वर्ष तक) को अग्रिम आदेशों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा उस पद पर नियुक्ति किये जाने अथवा 65 वर्ष (जो भी पहले घटित हो) तक सहमति प्राप्त कर आबद्ध किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय का सत्र नियमित किये जाने एवं शिक्षण कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि के दृष्टिगत शीघ्रातिशीघ्र स्थानीय समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कर कार्यवाही पूर्ण करा ली जाय।

बिन्दु संख्या—34.17 :

वित्त समिति की 27वीं बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति की 27वीं बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6/—

बिन्दु संख्या–34.18 :
कार्य परिषद् की 33वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य–उर्दू विभाग की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यात्मक आख्या (fact finding) पर विचार।
निर्णय :
कार्य परिषद् की 33वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य–उर्दू विभाग की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त बन्द लिफाफे को खोला गया तथा कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष तथ्यात्मक आख्या के निष्कर्ष को पढ़कर सुनाया गया। कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक आख्या में डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर के कार्यभार ग्रहण करने से वर्तमान समय तक की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सारे तथ्य समाहित न होने के कारण सम्पूर्ण तथ्यों सहित तथ्यात्मक आख्या तैयार कर आगामी कार्य परिषद् के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। अग्रेतर यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त तथ्यों से सम्बन्धित संलग्नक भी आख्या के साथ प्रस्तुत किये जायें।

अन्य बिन्दु

अन्य बिन्दु संख्या–34(1) :
विश्वविद्यालय में यू0जी0सी0 के अन्तर्गत संचालित नियमित पाठ्यक्रमों में नियुक्ति किये जाने तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) हेतु चयन समिति के पैनल के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय :
विश्वविद्यालय में यू0जी0सी0 के अन्तर्गत संचालित नियमित पाठ्यक्रमों में नियुक्ति किये जाने तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) हेतु चयन समिति के पैनल पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–33(2) :
विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित भेषजी संकाय में निदेशक की नियुक्ति किये जाने हेतु चयन समिति की संरचना के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय :
विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित भेषजी संकाय में निदेशक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधान के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को अवगत कराया गया तथा विस्तृत विचार–विमर्शोपरान्त निदेशक, भेषजी संकाय की निम्नवत् चयन समिति के गठन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1. कुलपति : अध्यक्ष
2. 02 विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जायेगा : सदस्य
3. कुलपति द्वारा नामित प्रशासनिक अनुभव के कुलपति/निदेशक : सदस्य
4. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद्, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि इन वर्गों का कोई भी अभ्यर्थी आवेदक हो तथा यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी सम्बन्धित श्रेणी का न हो : सदस्य
5. कुलसचिव : सचिव

अन्य बिन्दु संख्या–34(3) :

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित भेषजी संकाय में निदेशक की नियुक्ति किये जाने हेतु चयन समिति के विशेषज्ञ पैनल के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित भेषजी संकाय में निदेशक की नियुक्ति किये जाने हेतु हेतु प्रस्तुत चयन समिति के विशेषज्ञ पैनल पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–34(4) :

विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में विषय विशेषज्ञों के पैनल के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति हेतु प्रस्तुत विषय विशेषज्ञों के पैनल पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–34(5) :

श्री शबीह हैदर, लेखाकार के विरूद्ध प्रचलित जांच की समयावधि 01 माह बढ़ाये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा श्री शबीह हैदर, लेखाकार के विरूद्ध प्रचलित जांच की समयावधि 01 माह अन्तिम रूप से बढ़ाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–34(6) :

डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, पूर्व सहायक आचार्य (संविदा) बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की अवधि 01 माह बढ़ाये जाने सम्बन्धी अनुरोध पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, पूर्व सहायक आचार्य (संविदा) बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की अवधि 01 माह बढ़ाये जाने सम्बन्धी अनुरोध पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त लिये गये निर्णय से माननीय कुलाधिपति कार्यालय को भी अवगत कराये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–34(7) :

विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में विषय विशेषज्ञों के पैनल को कुलपति द्वारा अनुमोदित किये जाने पर विचार।

8/–

निर्णय :

विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों के पैनल में से विषय विशेषज्ञों को नामित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या—34(8) :

विश्वविद्यालय में 15वें स्थापना दिवस के समापन समारोह दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 में 11 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाने से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के 15वें स्थापना दिवस के समापन समारोह दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 में विश्वविद्यालय के नैक मूल्यांकन की प्रक्रिया में एस.एस.आर. सफलता पूर्वक Submit कराये जाने के क्रम में नैक—समन्वयक एवं 7 क्राइटेरिया इंचार्ज को, वर्ष 2024—25 में प्रवेश संख्या में हुयी उल्लेखनीय वृद्धि हेतु प्रवेश समन्वयक, रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विगत 03 वर्षों में प्राप्त शोध परियोजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु निदेशक—आर. एण्ड डी. तथा समर्थ पोर्टल के सफल क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी—समर्थ को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये। कार्य परिषद् के सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में प्रारम्भ की गयी इस पहल की सराहना की गयी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

05/10/24

(डॉ0 महेश कुमार)
कुलसचिव / सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष